राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांकः- F 7(12) Creche Worker/Training/ ICDS/15/ 18712 जयपुर दिनांक 30/1/18

कार्यालय आदेश

नवचयनित आँगनबाड़ी–शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं के कार्य प्रशिक्षण हेतु नामांकित आदेश जारी कर निर्देश दिए जाते है कि आँगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र डे टू डे डवलपमेंट, 15 रामकिशन कॉलोनी, काला कुआं, अलवर में दिनांक 07.02.2018 से 10.03.2018 तक आयोजित होने वाले आँगनबाड़ी–शिशु पालना गृह कार्यकर्ता के कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पहले 10 दिवस (07.02.2018 से 16.02.2018) व अन्तिम 10 दिवस (01.03.2018 से 10.03.2018) तक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षकों के माध्यम से आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य प्रशिक्षण मॉड्यूल को संक्षिप्त करके आवश्यक सत्रों में प्रशिक्षित किया जावें। दिनांक 17.02.2018 से 28.02.2018 तक 12 दिवस की अवधि में इन प्रशिक्षणार्थियों को शिशु पालना गृह संचालन से संबंधित प्रशिक्षण मोबाईल क्रेच नई दिल्ली संस्थान को दो प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। अतिथि वक्ता/मास्टर ट्रेनर्स को प्रत्येक व्याख्यान के लिए संस्था द्वारा मानदेय देय होगा।

अतः दिनांक 07.02.2018 से 10.03.2018 तक कार्य प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति आवश्यक रूप से देने के लिए पाबन्द करावें। साथ ही निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

1. गर्भवती एवं 6 माह के बच्चे की माता को प्रशिक्षण में नामांकित नही किया जावे।
2. प्रशिक्षणार्थी के साथ 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा साथ होगा तो प्रति बच्चा प्रतिदिन रू. 20/– आवास भोजन हेतु संस्था में जमा कराने होंगे। यदि साथ में महिला अटेन्डेन्ट हो तो रू. 150/– प्रति व्यक्ति के हिसाब से संस्था में जमा कराने होंगे। पुरूष अटेन्डेन्ट संस्था में नहीं रह सकेगें।
3. सभी नवचयनित शिशु पालना गृह कार्यकर्ता अपना परिचय–पत्र, आधार कार्ड/पहचान पत्र साथ लेकर जावें।
4. नवचयनित शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं को यात्रा भत्ता (टीए) का भुगतान आँगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही किया जावेगा।
5. नवचयनित शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं के आवास एवं भोजन की व्यवस्था आँगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र पर ही उपलब्ध होगी।

क्र.स	जिला	नामांकन संख्या		क्र.स	जिला	नामांकन संख्या
1.	अजमेर	03		8.	जोधपुर	01
2.	अलवर	01		9.	कोटा	01
3.	बारां	01		10.	पाली	02
4.	बीकानेर	01		11.	सवाईमाधोपुर	01
5.	चूरू	02		12.	सीकर	02
6.	जयपुर	06		13.	उदयपुर	04
7.	जैसलमेर	01		14.	सिरोही	02

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः-F 7(12) Creche Worker/Training/ ICDS/15/ 18713-730 जयपुर दिनांक 30-1-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. डे टू डे डवलपमेंट, 15 रामकिशन कॉलोनी, काला कुआं, अलवर
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अजमेर, अलवर, बारां, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, व उदयपुर, सिरोही
3. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर का भेजकर लेख है कि मोबाईल क्रेचज, नई दिल्ली के मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण से संबंधित स्टेशनरी एवं अन्य सहायक सुविधाएं उपलब्ध करावें।
4. कार्यकारी निदेशक, मोबाईल क्रेचज, डीआईजेड एरिया, सेक्टर–चतुर्थ, राजा बाजार, नई दिल्ली – 110001 को भेजकर लेख है कि दिनांक 17.02.2018 से 28.02.2018 तक 12 दिवसीय क्रेच प्रशिक्षण में दो प्रशिक्षक, प्रशिक्षण माड्यूल सहित उपलब्ध करावें।
5. लेखा प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर
6. (एसीपी) उप निदेशक, को भेजकर लेख है कि कम्प्यूटर पर अपलोड कर विभाग की वैबसाईट पर इसे डालने का श्रम करें।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।